

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 143/2025(GCMS : 2025/219)

आवास फार्निचर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 201-202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर-302020 व स्थानीय शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2 द्वितीय तल शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार पुत्र श्री ओम प्रकाश

बनाम


1. द्वारका प्रसाद पुत्र बनवारी लाल निवासी वार्ड नं. 3, 3 एस टी आर, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335707 द्वितीय पता पट्टा नं.80, ग्राम 24 ए एस-सी (नई मण्डी घड़साना), पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335707
2. मंजू पत्नी द्वारका प्रसाद निवासी वार्ड नम्बर 3, 3 एस टी आर, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335707



07.08.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण द्वारका प्रसाद एवं मंजू को ऋण सुविधा के रूप में 2.75/-लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 03.02.2025 को 2,21,789/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी द्वारका प्रसाद द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 80, ग्राम 24 ए एस-सी (नई मण्डी घड़साना), पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना, श्रीगंगानगर (राज.) - 335707, जिसके उत्तर में लाल देवी, दक्षिण में रोड़, पूर्व में विनोद कुमार तथा पश्चिम में भूप सिंह है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 107.56 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैंने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण द्वारका प्रसाद एवं मंजू को ऋण सुविधा के रूप में 2.75/-लाख रुपये (रुपये दो लाख पिच्चहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृत दिनांक 06.10.2021 को प्रदान प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी द्वारका प्रसाद ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 80, ग्राम 24 ए एस-सी (नई मण्डी घड़साना), पंचायत समिति



जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

घड़साना तहसील घड़साना, श्रीगंगानगर (राज.)-335707, जिसके उत्तर में लाल देवी, दक्षिण में रोड़, पूर्व में विनोद कुमार तथा पश्चिम में भूप सिंह है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 107.56 वर्गगज है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.02.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण धारा 13(2) की तामील नहीं हुई।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी द्वारका प्रसाद की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 80, ग्राम 24 ए एस-सी (नई मण्डी घड़साना), पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना, श्रीगंगानगर (राज.) - 335707, जिसके उत्तर में लाल देवी, दक्षिण में रोड़, पूर्व में विनोद कुमार तथा पश्चिम में भूप सिंह है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 107.56 वर्गगज है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.02.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 04.02.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.02.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.02.2025 को "Item Returned insufficient Address" की रिपोर्ट के


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अनुसार प्रार्थी बैंक को वापिस प्राप्त हो गए हैं। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास पर दिनांक 15.02.2025 को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 20.02.2025 को प्रकाशित करवाया हैं, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी द्वारका प्रसाद द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारका प्रसाद द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 80, ग्राम 24 ए एस-सी (नई मण्डी घड़साना), पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना, श्रीगंगानगर (राज.) - 335707, जिसके उत्तर में लाल देवी, दक्षिण में रोड़, पूर्व में विनोद कुमार तथा पश्चिम में भूप सिंह है, उक्त प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 107.56 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर